

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0-भवन-03/स्था0-विधि-22/2019 96/पटना, दिनांक- 17/3/2020

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-768 पें0को0/वि0 दिनांक-03.07.2007 एवं पेंशन नियमावली के नियम 101(ख) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री अनिल कुमार, कनीय अभियंता, भवन प्रमंडल, सिवान, भवन निर्माण विभाग द्वारा दिनांक-29.06.2004 (उनतीस जून दो हजार चार) से 06.07.2019 (छः जुलाई दो हजार उनीस) तक प्रयोगशाला सहायक, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार के पद पर पूर्व में की गई सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ वर्तमान सेवा के साथ परिगणित करते हुये उक्त अवधि की सेवा को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही दिनांक 07.07.2019 की अवधि को घोषित अवकाश (रविवासरीय अवकाश) के रूप में विनियमित की जाती है।

2. इस पर वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।
3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(दीपक कुमार साह)
सरकार के उप सचिव।

पटना, दिनांक- 17/3/2020

ज्ञापांक- 2374 (ग)

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, बिहार, पटना/जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, जिला भविष्य निधि कार्यालय, सिवान एवं कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सिवान को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

पटना, दिनांक- 17/3/2020

ज्ञापांक- 2374 (ग)

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/मुख्य अभियंता (उत्तर)/अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, छपरा/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सिवान/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री अनिल कुमार, कनीय अभियंता, भवन प्रमंडल, सिवान, भवन निर्माण विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

Kimol